



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग
धुमाकोट (पौड़ी)



उत्तराखण्ड शासन

Office of the Executive Engineer National Highways, PWD Dhumakot Uttarakhand
Fax No. 01368-222319 Email-nhpwddhumakot@gmail.com

पत्रांक
सेवा में

505(2)/03सी०

दिनांक: 30/05/2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉन वन प्रभाग,
कोटद्वार।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार सतपुली के (सेक्शन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 है (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्डियनगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून का पत्रांक संख्या -2318/12-1, देहरादून दिनांक-10.05.2024,

महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार सतपुली के (सेक्शन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 है (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत सैंधानिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आवश्यक संलग्नों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क०स०	सैंधानिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तें	बिन्दुवार अनुपालन आवश्य
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-1
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-2
3	प्रतिपूरक वनीकरण:	
क	वन भूमि द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 48.00 है० अवनत वन भूमि पौड़ी रेज में अदवानी कक्ष संख्या० 63 व 6ब , 7 एवं 8 तथा पूर्वी अगोली कक्ष संख्या 25 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
ख	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-3
ग	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल०एल०एस०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ईं-ग्रीन वॉर्च पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक विकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। संलग्न-4
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के मानकीय सर्वोच्च व्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002 , 01.08.2003, 5-2 /2006-एफ०सी० (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशनानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1. 8675 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है एवं एन०पी०वी० की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। संलग्न-4
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मानकीय सर्वोच्च व्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपतपत्र प्रस्तुत करेगा।	'बचनबद्धता प्रमाण पत्र' संलग्न है। संलग्न-5
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को व्यूनतम स्थेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 6370 पेड़ और 2375 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यावरण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-6
7	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आर०ओ०डब्ल्यू० में आने वाले कुल पेड़ों में से वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार पेड़ों की कटाई कम से कम की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-7

8	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए परित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा। संलग्न-8
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित/जमा किए जाएंगे।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-9
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। संलग्न-10
11	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में व्यूततम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
12	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-11
13	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण रक्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	उच्च स्तर से अपेक्षित है।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-12
15	केव्व सरकार के पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-13
16	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-14
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-15
18	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-16
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-17
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-18
21	केव्व सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्ताक्षरित नहीं की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-19
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-4/2/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर करवाइ होगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-20
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-21
24	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्विदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा की वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-22
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/व्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जलवायु लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-23
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-24

अतः उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


 अधिकारी अधिकारी
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,लोक निर्माण विभाग,
धुमाकोट-पौडी

पत्रांक- / दिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक,शिवालिक युक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता, छिंटीय, तृतीय, चतुर्थ राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 धूमाकोट-पौडी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 अधिकारी अधिकारी
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,लोक निर्माण विभाग,
धुमाकोट-पौडी

परियोजना का नाम:- जंबुपद पौडी गढ़वाल के अक्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेवशन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

प्रमाण पत्र मूल में अधेसित


प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार।


अधिशासी अधिकारी
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुगाकोट।

परियोजना का नाम:- जबपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (रोकशन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

प्रमाण पत्र मूल में अधेसित

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौब वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिशारी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुमाकोट।

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम- जनपद पीड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजमार्ग रां० एन०एण० ११९/५३४
किलोमीटर १३९०० से १५८०० कोट्टार रामायुती के (रोपण-देवतवाल रो रामायुती के किलोमीटर १४६०० से १५८००) तक दो तेज रास्ते शीशीकरण होते १२०/८ है० ता० यहाँ का राष्ट्रीय राजमार्ग तार्क लोगिंग को प्रलापत्ति का रामबना गे।

"प्रतिपूरक वृक्षारोपण प्रमाण-पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु घयनित सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में आख्या वन क्षेत्राधिकारियों से मांगी गई। वन क्षेत्राधिकारी, पौड़ी रेज, नागदेव की जांच आख्या पत्रांक १३१३/१२-१, दिनोंक ०८-०४-२०२४ के द्वारा अदवानी क०सं० ८ए के ३.०० है०, अदवानी क०सं० ६बी के ४.०० है०, अदवानी क०सं० ७ के ६.०० है०, अदवानी क०सं० ८ के ५.०० है०, सिगड़ड क०सं० २ के ७.०० है० सिगड़ड क०सं० १ के १.०० है० योग ३३.०० है० तथा वन क्षेत्राधिकारी, पूर्व अभेली रेज, थलीसेंग की जांच आख्या पत्रांक ६२९/१२-१, दिनोंक २०-०४-२०२४ के अनुसार पणजीखाल क०सं० २५ के ५.०० है० एवं वन क्षेत्राधिकारी, दीवा रेज, धुमाकोट की जांच आख्या पत्रांक ४५५/१२-१, दिनोंक ३०-०३-२०२४ के अनुसार दीवा III क०सं० २ के १०.०० है० इस प्रकार तीनों रेजो के अन्तर्गत कुल योग ४८.०० है० चयनित क्षेत्र में पूर्व में किसी भी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

प्रमाणित वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभार पौड़ी।

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

no. Proposal Detail		Application_No No (New)	Application_No PRINCIPLE Paid (In Rs.)	Date of IN- Amount to be Paid/Amount Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/UK/ROAD/45326/2020 (./viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/45326/2020)	ROAD45326/2020/096145326/0923 Nov 2023	CA: 21541968/- Addl CA 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety 0/-, Addl PA 0/- Zone: 0/-, Other 0/- NPV: 23589263/-, Charges 0/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 4513123/-		Fund Demand verified by 11 Jan Nodal Officer On 2024	Generated Challan (./UserAccount/Next_Challan.aspx?pid=ROAD45326/2020)	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/09012024154155841_FPUKROAD45326/2020_User_Fund_Demanded_491M7.p



[\(www.DIGITALINDIA.GOV.IN\)](https://www.digitalindia.gov.in/)

[\(HTTPS://MCA.GOV.IN/\)](https://www.mca.gov.in/)

संवाच्छ - 04



[\(HTTPS://MYGOV.IN/\)](https://www.mygov.in/)



[\(HTTP://WWW.NIC.IN/\)](https://www.nic.in/)

[\(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/\)](https://www.pmindia.gov.in/en/)

[\(HTTP://WWW.NIC.IN/\)](https://www.nic.in/)

१८७ - ०१

पारियाजना का नाम:- जनपद पौडी गढ़वाल के अक्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० ११९/५३४ कि०मी० १३९.०० से १९६.०० कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० १५६.०० से १९६.००) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि विशेषज्ञ रामिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च व्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा।

प्रमाण पत्र मूल में अध्येतित

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉव वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुमाकोट।

प्रतीक्षा - 6

रियोजना का नाम:- जगपट पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग रोड़ा एवं 119/534 कि.मी 0 139.00 से 196.00 कोटद्वार से रातपुली के (गोलान दुगद्वा रो रातपुली के कि.मी 0 156.00 से 196.00) तक दो लेब रास्क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे 0 (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 6370 पेड़ और 2375 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

प्रगाण पत्र मूल में अधेसित

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिशारी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुमाकोट।

रेयोजना का नाम:- जबपद पौड़ी गढ़वाल के अक्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एवं ११९/५३४ कि०मी० १३९.०० से १९६.०० कोटद्वार से सतपुली के (रोकशन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० १५६.०० से १९६.००) तक दो लेन राडक चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आर०ओ०डल्यू० में आवे वाले कुल पेडे में से वार्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार पेडो की कठाई कम से कम की जायेगी।

प्रमाण पत्र मूल में अधिसित

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिशासी उपकार्यकारी,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुमाकोट।

पुस्तक-४

परियोजना का बाग:- जवाहर पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एवं ०१८०
११९/५३४ किमी १३९.०० से १९६.०० कोटद्वार से सतपुली के (रोकशब्द
दुगड़ा से सतपुली के किमी १५६.०० से १९६.००) तक दो लेन सड़क
चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वर्ग मूलि का राष्ट्रीय राजमार्ग
खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अधिकरण गाइडलाइन्स में दिए गए
दिशानिर्देशों के पैरा ११.२ के अनुरार विधिवत स्थीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ
करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति आपके कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही यह
सुनिश्चित करेगी की अनुगति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में
उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

प्रमाण पत्र मूल में अंशसित

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौव वर्ग प्रभाग, कोटद्वार।

अधिकारी उपाधिकारी,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुगाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (रोकशन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग छण्ड, लो०गि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल [c \(https://parivesh-nic-in\)](https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित/जमा किए जाएंगे।

प्रगाण पत्र मूल में अग्रेसित


प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार।


अधिशासी अधिकारी,
राष्ट्रीय राजमार्ग छण्ड,
लो०गि०वि० धुमाकोट।

From-I

(For linear projects)


Government of India office of the District Collector Pauri Garhwal

No. राजी-१३/८-फोर प्रा ए०-(२०१९-२०) तिथि १५/१०/०९ Date १३/०९/२०१९
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No 119/98-FC(pt) dated 3-August 2009 wherein the MoEF Issued Guidelines on submission of Evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of rights) Act,2006 ('FRA', for Short) on the Forest land Proposed to be diverted for non -forest purposes read with MoEF's Letter Dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is Certified that 42.076 of forest land proposed to be diverted in favour of National Highway Division Dhumakot for National Highway Kotdwara to Satpuli road in Pauri Garhwal District.

It is Further Certified that :

- a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been Carried out for the entire 42.07 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forests Rights committee (s), Gram Sabha (s) sub division level Committee and the district level Committee are enclosed as annexure
- b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it ;
- c. The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre- agricultural communities.


(Sh. D.S.Garhiyal)

Encl: As above.

(District Collector, Pauri Garhwal)

जिलाधिकारी
गढ़वाल

परियोजना का नाम:- जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० ११९/५३४ कि०मी० १३९.०० से १९६.०० कोटद्वार से सतपुली के (रोकशब दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० १५६.०० से १९६.००) तक दो लेन रडक चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के रखेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।

प्रगाण पत्र मूल में अधेसित

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिशासी अधिकारी,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जबपद पौड़ी गढ़वाल के अक्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनो एच० 119/534 कि०ग्री० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (रोकशन दुगड़ा से सतपुली के कि०ग्री० 156.00 से 196.00) तक दो लेन रडक चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग छण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधारों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

प्रमाण पत्र मूल में अधेसित


प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्वाडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग छण्ड,
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जबपद पौड़ी गढ़वाल के अक्वार्ट राष्ट्रीय राजमार्ग रांच्या एवं एवं प्रभाग-12
119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (रेक्शन
दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेव राडक
चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग
खण्ड, लो०वि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि केन्द्र सरकार के पूर्वानुगमि के विना प्रस्ताव का
ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

प्रमाण पत्र मूल में अधिसित


प्रशासीय विधिकारी,
लैन्द्राडौन घर प्रभाग, कोटद्वार।


अधिशारी अधिकारी,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०वि०वि० धुगाकोट।

प्रियोजना का नाम:- जबपद पौड़ी गढ़वाल के अक्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एवं ०५८४७-१५
११९/५३४ कि०मी० १३९.०० से १९६.०० कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन
दुगड़ा रो सतपुली के कि०मी० १५६.०० से १९६.००) तक दो लेन राडक
चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग
खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रगाणित किया जाता है, कि वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर श्रमिक
शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।

प्रमाण पत्र मूल में अधेसित

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्हाडौल वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिशासी अमिन,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुमाकोट।

पारंयोजना का नाम:- जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक० एक० ११९/५३४ कि०मी० १३९.०० से १९६.०० कोटद्वार से रातपुली के (सेक्शन दुगड़ा से रातपुली के कि०मी० १५६.०० से १९६.००) तक दो लेन राडक चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०वि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रगाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

प्रमाण पत्र गूल में अधेसित

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉवन वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिकारी अधिकारी,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०वि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जबपद पौड़ी गढ़वाल के अक्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एवं १८० एवं ११९/५३४ कि०मी० १३९.०० से १९६.०० कोटद्वार से रातपुली के (रेक्षण दुगड़ा से रातपुली के कि०मी० १५६.०० से १९६.००) तक दो लेन राड्क चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बिधित वन मंडल अधिकारी के विदेशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की रीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०री० पिलर्स द्वारा रीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।

प्रमाण पत्र मूल में आगेरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिशासक अधिकारी,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुगाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एच० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेब राडक चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अव्वर कोई अतिरिक्त या नया गार्ग नहीं बनाया जाएगा।

प्रमाण पत्र मूल में अन्वेषित

प्रभावली वन अधिकारी,
लैन्वराडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिकारी अधिकारी,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जबपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एवं ०५८७८-१४
११९/५३४ कि०मी० १३९.०० से १९६.०० कोटद्वार से सतपुली के (सेवशन
दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० १५६.०० से १९६.००) तक दो लेब सड़क
चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग
खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग
परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्टी प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया
जाएगा।

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

AM
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिशारी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुमाकोट।

दुगड़ा से शतपुली के किमी 156.00 से 196.00) तक दो लेव राडक ^{प्रत्यावर्तन-19}
चौड़ीकरण हेतु 23.467 हेव (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग
खण्ड, लोनिविंठ को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केव्व राकार की
पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अव्य ऐजेन्टीयों, विभाग
अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

प्रमाण पत्र मूल में अंशित

AM
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिशारी ^{अधिकारी},
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोनिविंठ धुमाकोट।

४४७-२०

परियोजना का नाम:- जनपद प्रौडी गढ़वाल के अक्तरगत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एवं एवं 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किरी भी शर्त का उल्लंघन वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर करवाई होगी।

प्रमाण पत्र गूल में अधिसित

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉव वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिशासी अधिकारी
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुगाकोट।

रियोजना का नाम:- जबपद पौडी गढ़वाल के अक्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एवं ०५८७८-२।
119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेवशन
दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेब सड़क
चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग
खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय
पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

प्रगाण पत्र मूल में अधिसित

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार।

अधिशारी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एव० ११९/५३४ कि०मी० १३९.०० से १९६.०० कोट्ठार से सतपुली के (सेवशन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० १५६.०० से १९६.००) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०वि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अंगिकरण द्वारा मलवा विरतारण योजना के अनुसार पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का विरतारण करेगा की वह अवावश्यक रूप से तथ रीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा विरतारण वन भूमि पर नहीं किया जाएगा।

प्रगाण पत्र मूल गे अधेसित


प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोट्ठार।

अधिशारी अंगिकरण,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०वि०वि० धुगाकोट।

परियोजना का नाम:- जगपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनो एच० 119/534 किमी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेवशन दुगड़ा से सतपुली के किमी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हेठो (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०निं०विं० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि यदि इस प्रस्ताव पर कोई अन्य राजबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/व्यायालय आदेश/अनुदेश आदि लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरुरी लेना राज्य सरकार/प्रथोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

प्रगाण पत्र मूल में अंगेसित


प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार।


अधिशासकीय अधिकारी,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०निं०विं० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जवापद पौडी गढ़वाल के अक्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० ११९/५३४ कि०मी० १३९.०० से १९६.०० कोटद्वार से सतपुली के (सेवशन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० १५६.०० से १९६.००) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in>) पर अपलोड की जायेगी।

प्रमाण पत्र मूल में अध्येति


प्रभावीय वनाधिकारी,
लैन्सडौब वन प्रभाग, कोटद्वार।


अधिकारी अधिकारी,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो०नि०वि० धुमाकोट।